



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ

आफिस कॉम्प्लैक्स, सेवटर-9, शास्त्री नगर, मेरठ

Email : [upavpsc2@gmail.com](mailto:upavpsc2@gmail.com)

मार्गीय मानक व्याप IS 15700



पत्रांक :- २८१२ /

/ ०६-१२/१०९

दिनांक :- ०२/१२/२०२३

## ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा, एकल-बिड पद्धति के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-०३, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेवटर-९, आफिस कॉम्प्लैक्स, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्य की मात्राएं बी०ओ०क्य० के अनुसार होगी, जो घट या बढ़ सकती है। :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	शाकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर में ओ०एच०टी० साइड में सड़कों के रखरखाव का कार्य	2.40	0.05	03 माह	500.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी०	श्रेणी-V के में पंजीकृत

### नियम एवं शर्तेः—

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस०सी० कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-०३, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।	इन्डियन ओवरसीज बैंक, बी-७, शास्त्री नगर, मेरठ।	153201000001953	IOBA0001532

### 2. महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

क्र० सं०	विवरण	दिनांक	समय
(i)	ई-निविदा प्रकाशन तिथि	04.12.23	—
(ii)	निविदा डाउनलोड /अपलोड /आर०टी०जी०एस० करने की प्रारम्भ तिथि	05.12.23	अपराह्न 05:00 बजे से
(iii)	धरोहर राशि की आर०टी०जी०एस० करने की अन्तिम तिथि	14.12.23	अपराह्न 05:00 बजे तक
(iv)	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	15.12.23	अपराह्न 05:00 बजे तक
(v)	विड खोले जाने की तिथि	16.12.23	पूर्वाह्न 11:00 बजे

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदादायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रु० 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु० 1/- का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग /जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- वी०ओ०क्य० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर समिलित है, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेवर सेस एवं अन्य कर, जो उ०प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी०एस०टी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- समस्त कार्य, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगे।

कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई कलेम मान्य नहीं होगा।

11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) एवं उ0प्र0 इलेक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के रामबन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. शासनादेश संख्या-622/231-12-2012-2/आडिट/08 टी0री0 दिनांक 08.06.12 के क्रम में निविदादाता द्वारा विल ऑफ क्वान्टी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत below तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत below अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मेन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/री0डी0आर0/एन0एस0री0 जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-02 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-9, आफिस काम्पलेक्स, शास्त्रीनगर, मेरठ के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) निविदा की वित्तीय विड खुलने की तिथि एवं कार्यालय द्वारा मांग करने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर, न्यूनतम निविदादाता को खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की रिस्ति में न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में रखीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफॉर्मेन्स गारन्टी, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापिस की जायेगी।
13. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यरथल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें।
14. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपाराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
15. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
17. समस्त कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य में प्रयुक्त सैम्प्ल की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जायेगी।
18. ई-टेन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता पात्र होंगे।
19. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लॉटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई कलेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, दरें कम (Below) मानी जायेगी।
21. यदि ठेकेदार/फर्म ने रस्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
22. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति के दशा में कार्य की कुल वांछित जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, 07 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिनों के अन्दर ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की रिस्ति में निविदा निरस्त करते हुये, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
23. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार रस्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
24. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न रस्ता की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होंगे, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
25. निविदा अपलोड करते समय चित्रित प्रमाण पत्र, हैरियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, वित्तीय निविदा खुलने की तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
26. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा रील कर दी जायेगी :-
- (अ) फर्म का पैन कार्ड।  
(ब) फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रगाण-पत्र।  
(स) फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रगाण-पत्र।  
(द) फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रगाण-पत्र।  
(य) वांछित अनुबन्ध प्रगाण-पत्र।
27. निविदा/फर्म या वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वर्षों में रामान प्रकृति (यथा-भवन निर्माण) के निम्नलिखित तीन कार्यों में से एक कार्य के अनुसार (अ, ब, रा में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रगाण-पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर रांगन करना अनिवार्य है -

B SK

- (अ) निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
- (ब) निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
- (स) निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।

28. शासनादेश संख्या—1345 / 86—2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (EMM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।
29. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोइ क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
30. डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि एक वर्ष एवं वारण्टी अवधि दो वर्ष होगी तथा 1 प्रतिशत वारण्टी की धनराशि दो वर्ष उपरान्त कार्य सन्तोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
31. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन से सम्बन्धित कोविड-19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
32. किसी भी विवाद की दशा में जनपद—मेरठ न्यायिक क्षेत्र होगा।

(राजीव कुमार)  
अधीक्षण अभियन्ता

पृ०सं० :- २८७२

/उपरोक्तानुसार/

दिनांक :-

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समरत अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्व्यार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-1/2/3/4, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. नोटिस बोर्ड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता